

344

482

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



R5021-II/17

वंशीलाल गुप्ता तनय नर्वदा प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम खटखरी,  
तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

-----आवेदक / निगराकार

बनाम

- 1- जगदीश प्रसाद गुप्ता तनय रामप्रसाद गुप्ता
- 2- सुरेश प्रसाद तनय रामप्रसाद गुप्ता

साकिन ग्राम खटखरी, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0), हाल  
मुकाम ग्राम कोचिला, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0)

-----अनावेदकगण / गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय  
अधिकारी तहसील हनुमना, जिला रीवा  
आदेश दिनांक 02/01/17 वावत्  
प्रकरण क0-133/अ-6/2015-16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू  
राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रक्रिया व अभिलेख के विपरीत है ।
- 2- यह कि विचारण न्यायालय में आवेदक के हक में किया गया नामांतरण आदेश विधिवत् 90/- रू0 के विक्रय टीप दिनांक 27/03/1968 के आधार पर विक्रय पत्र के साक्षियों के परीक्षण के पश्चात् अनावेदक को सूचना, सुनवाई का मौका दिये जाने के पश्चात् ही किया गया और इस तरह तहसीलदार हनुमना के आदेश दिनांक 24/06/2004 के विरुद्ध अपील प्रथम दृष्टया ही प्रचलनीय

वंशीलाल




AS

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5021-दो / 2017

जिला-रीवा

वंशीलाल गुप्ता / जगदीश प्रसाद गुप्ता

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुबेर अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 133/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">               (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p> <p style="text-align: right;">  </p>	